राज्य स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
नीर भवन, सिविल लाईन्स, रायपुर, छत्तीसगढ़

क्र. 1930 मि.सं./रास्वभामिग्रा/पंग्राविवि/2020:: रायपुर, दिनांक 12-06-2020

प्रति,

1. **कलेक्टर सह अध्यक्ष प्रबंधन समिति**
जिला स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)
समस्त जिला, छत्तीसगढ़

2. **मुख्य कार्यपालन अधिकारी**
जिला पंचायत एवं सदस्य सचिव, प्रबंधन समिति
जिला स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)
समस्त जिला, छत्तीसगढ़

विषयः– **स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) अंतर्गत सामुदायिक स्वच्छता परिसरों के प्रावधान के संबंध में।**

संदर्भः– **पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, जलशक्ति मंत्रालय, भारत सरकार का पत्र क्र- S-18011/7/2018-SBM दिनांक 01 जून, 2020।**

विषयांतर्गत जलशक्ति मंत्रालय भारत सरकार के संदर्भित पत्र के अनुसार स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) फेज– 2 की मार्गदर्शिका में ग्रामों में सामुदायिक स्वच्छता परिसरों के निर्माण हेतु विशेष प्रावधान किया गया है। सामुदायिक स्वच्छता परिसरों का निर्माण मुख्यतः उन परिवारों के लिए किया जाना है जिन घरों में शौचालय निर्माण हेतु स्थान की कमी है, प्रवासी या जिनके घरों में किन्ही कारणों से शौचालयों का निर्माण नहीं हो पाया है। सामुदायिक स्वच्छता परिसरों के निर्माण हेतु ऐसे स्थान का चुनाव किया जाना है जहां से उपरोक्त वर्णित परिवार इन परिसरों का उपयोग कर पाएं एवं परिसरों का रखरखाव सुनिश्चित किया जा सके।

2/ पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा सामुदायिक स्वच्छता परिसरों के निर्माण हेतु निर्मित पुस्तिका के अनुसार प्रत्येक सीट का लगभग 40 लोगों द्वारा प्रतिदिवस उपयोग किए जाने का आंकलन किया गया है। एक स्वच्छता परिसर पर उपयोग करने वाले परिवारों का भार अधिक होने एवं स्वच्छता परिसरों के घरों से अधिक दूर होने की स्थिति में समस्त परिवारों द्वारा इनका उपयोग नहीं किया जा पाएगा। सामुदायिक स्वच्छता परिसरों में उपयुक्त संख्या में शौचालय सीटों की उपलब्धता के संबंध में राज्यों को छूट भी प्रदान की गई है।

3/ सामुदायिक स्वच्छता परिसरों के निर्माण के संबंध में उपरोक्त संदर्भित पत्र क्र- **S-18011/7/2018-SBM** दिनांक 01 जून, 2020 के माध्यम से प्राप्त निर्देशानुसार स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) अंतर्गत निर्मित होने वाले सामुदायिक स्वच्छता परिसरों में आदर्श स्थिति में 04 शौचालय सीटों जिसमें से महिलाओं हेतु 02 एवं पुरूषों हेतु 02 शौचालय सीट की उपलब्धता सुनिश्चित की जानी है। इस प्रकार निर्मित सामुदायिक स्वच्छता परिसरों की उपलब्धता अधिकतम 35 परिवारों के लिए की जानी है।

Scanned with CamScanner

4/ ऐसे समस्त परिवार जिनके घरों में व्यक्तिगत पारिवारिक शौचालयों की उपलब्धता नहीं है, जिनके द्वारा गांवों में निर्मित होने वाले सामुदायिक स्वच्छता परिसरों का उपयोग किया जावेगा पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा इन परिवारों की मैपिंग विभाग की वेबसाईट पर किए जाने का प्रावधान किया गया है।

5/ तदानुसार स्वच्छ भारत मिशन फेस–2 की मार्गदर्शिका एवं भारत सरकार के उपरोक्त संदर्भित पत्र के माध्यम से दिए गए निर्देशों के अनुरूप गांवों में सामुदायिक स्वच्छता परिसरों का निर्माण एवं इन सामुदायिक स्वच्छता परिसरों का उपयोग करने वाले परिवारों की मैंपिग पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, जलशक्ति मंत्रालय, भारत सरकार की वेबसाईट पर करवाए जाने का कष्ट करें।

(धर्मेश कुमार साहू)
मिशन संचालक
राज्य स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
छत्तीसगढ़ शासन

पृ.क्र.1931 मि.सं./रास्वभामिग्रा/पंग्राविवि/2020, रायपुर, दिनांक 12/06/2020

प्रतिलिपिः–

निज सचिव, प्रमुख सचिव, छ.ग. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर की ओर सूचनार्थ संप्रेषित।

मिशन संचालक
राज्य स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
छत्तीसगढ़ शासन

Scanned with CamScanner